

पंजीयन क्रमांक 1632/16
दिनांक 19.12.2016
डिस्पेच नं. 218
दिनांक 19.12.2016

राजस्थान सरकार

प्रपत्र (फार्म) संख्या-7

निदेशालय गोपालन, राजस्थान, जयपुर

कार्यालय पंजीयक (रजिस्ट्रार), गोशालाएँ राजस्थान, जयपुर



गौशाला पंजीयन प्रमाण-पत्र

राजस्थान गोशाला अधिनियम, 1960 की धारा 5 के अन्तर्गत (देखिये नियम-6)

श्री जेज विकास एवं सेवा संस्थान
ग्राम आसदेव की ढाणी पोस्ट देवा
तहसील जैसलमेर जिला जैसलमेर के सम्बन्ध में।

चूँकि श्री अब्दुल खान अध्यक्ष न्यासी (ट्रस्टी)
गौशाला श्री जेज विकास एवं सेवा संस्थान ने राजस्थान
गौशाला अधिनियम, 1960 (अधिनियम संख्या 24 सन् 1960) की धारा 5 के अन्तर्गत उक्त गौशाला
के पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) के लिये आवेदन किया है एवं आवश्यक जांच करने के बाद मैं संतुष्ट हो गया हूँ।
आवेदनपत्र के साथ प्रस्तुत अपेक्षित विवरण है। अतः मैं उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 3 के
अनुसरण में, एतद् द्वारा प्रमाणित कर अयुक्त गौशाला पंजीयत (रजिस्टर) करली गई है।

आज दिनांक 19/12/16 दिनांक 19/12/16 वर्ष दो हजार सोलह



रजिस्ट्रार गौशाला एवं संयुक्त निदेशक
(गौशाला पंजीकरण एवं नस्ल सुधार कम गौशाला विकास अधिकारी
निदेशालय गोपालन, राजस्थान, जयपुर